जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 29.10.2024

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्दराऊ के जंगल में प्रतिबन्धित पशु कटान की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.10.2024 को थाना कैराना पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्दराऊ के जंगल में प्रतिबन्धित पशु कटान होने की सूचना प्राप्त हुई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 29.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं गौकशी की घटनाओं के रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्दराऊ के जंगल में हुयी गोकशी की घटना में शामिल 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.असलम पुत्र सगीर निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 पव्वे देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 29.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, स्नैचिंग व मादक पदार्थ में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 22 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंकित पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम रसूलपुर गुजरान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 22 पव्वे महबूबा मार्का।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 05 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2019 में थाना थानाभवन पर अभियुक्त अरूण पुत्र राकेश वाल्मीकि निवासी मौहल्ला रेती वाला थाना व कस्बा थानाभवन जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 215/2019 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 29.10.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL/SC.ST कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में 05 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास की सजा व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI